GODREJ HOUSING FINANCE

Godrej

संपत्ति वर्गीकरण की अवधारणाएँ

दिनांक 12 नवंबर, 2021 के RBI परिपत्र क्रमांक RBI/2021-2022/125 DOR.STR.REC.68 /21.04.048/2021-22 के संदर्भ में, आय की पहचान, अग्रिमों से संबंधित परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान- स्पष्टीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंड विषय के संबंध में निम्नलिखित अवधारणाओं को समझाया गया है :

नियत तिथि – यह वह तिथि है जिस दिन उधारकर्ता को ऋणदाता को अपने बकाए का भुगतान करना होता है। GHFL के उधारकर्ता के लिए, यह तिथि वह तिथि है जिस दिन उधारकर्ता के बैंक को अधिदेश प्रस्तुत किया जाता है और यह ऋण अनुबंध में दिया गया है।

अतिदेय (ओवरड्यू) – यदि उधारकर्ता नियत तिथि पर भुगतान नहीं करता है, तो खाते को अतिदेय (ओवरड्यू) माना जाता है।

पिछले देय दिन (डेज पास्ट ड्यू)- इसका अर्थ है नियत तिथि के बाद कितने दिनों से भुगतान नहीं किया गया है या खाता अतिदेय बना हुआ है।

SMA– इसका अर्थ है विशेष उल्लेख खाता और इन्हें पिछले देय दिनों की सहायता से किसी खाते के अतिदेय होने के दिनों के आधार पर ट्रैक किया जाता है। SMA के तहत तीन श्रेणियाँ आती हैं जो पिछले देय दिनों से जुड़ी हुई हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी ऋण के लिए देय तिथि 31 है और पहला भुगतान 31 मार्च, 2021 को नहीं किया गया है, तो निम्नलिखित वर्गीकरण होगा :

पिछले देय दिन (DPD)	वर्गीकरण	अद्यतन
30 दिन तक	SMA-0	31 मार्च 2021
30 दिन से अधिक और 60 दिन तक	SMA-1	30 अप्रैल 2021
60 दिन से अधिक और 90 दिन तक	SMA-2	30 मई 2021
90 दिन से अधिक	NPA	29 जून 2021

NPA – इसका अर्थ है ग़ैर-निष्पादित परिसंपत्ति और जब एक सावधि ऋण खाता 90 दिनों की अवधि के लिए अतिदेय (ओवरड्यू) रहता है यानी ब्याज या मूलधन का भुगतान नहीं किया जाता है तो इसे NPA माना जाता है। हालाँकि, धोखाधड़ी, सुरक्षा में कमी आदि जैसी कुछ घटनाओं में यदि कोई खाता नियमित रूप से भुगतान कर रहा हो तो उसे घाटे वाली परिसंपत्ति (लॉस एसेट) के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसके अलावा, खाते के NPA में बदलने की जानकारी सिबिल जैसी क्रेडिट जानकारी कंपनियों को दी जाती है।

संपत्ति का उन्नयन - यदि कोई उधारकर्ता 90 दिनों तक भुगतान नहीं करता है और खाता NPA हो जाता है, तो इसे तब तक मानक श्रेणी में अपग्रेड नहीं किया जा सकता जब तक कि पूरी बकाया राशि का भुगतान नहीं कर दिया जाता। इसके अलावा, NPA के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों को मानक के रूप में केवल तभी अपग्रेड किया जा सकता है जब उधारकर्ता द्वारा ब्याज और मूलधन का पूरा बकाया भुगतान कर दिया जाय।

दिन के अंत की प्रक्रिया (डे-एंड प्रॉसेस) - कंपनी की दिन-समाप्ति की एक प्रक्रिया है जो दिन के लिए बहियों को बंद करने की एक लेखांकन प्रक्रिया है। यदि नियत तिथि पर पैसा प्राप्त नहीं होता है तो खाते को अतिदेय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और दिन के अंत में उसे SMA/NPA के रूप में घोषित किया जाएगा।

----- **** -----